रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4215] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 26, 2018/कार्तिक 4, 1940
No. 4215] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2018/KARTIKA 4, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5420(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, **1988 (1988** का **68)** की धारा **11** के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1035 (अ), तारीख **07 मई, 2010** द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या **73** के **71.640** कि.मी. से **179.285** कि.मी. (उ.प्र./हरियाणा सीमा-यमुनानगर-साहा-बरवाला-पंचकुला सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और उनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, और सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 02(अ) तारीख 29 दिसम्बर, 2014 सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585 (अ), तारीख 08 जून, 2016 और सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 02 दिसम्बर 2016 सा.का.नि. 248(अ) तारीख 14 मार्च, 2017, सा.का.नि. 427(अ) तारीख 07 मई, 2018 और सा.का.नि. 920 (अ) तारीख 25 सितम्बर, 2018 द्वारा संशोधन किए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 (नया रारा-344) के (उ.प्र./हरियाणा सीमा-यमुनानगर-साहा-बरवाला-पंचकुला सेक्शन) पर विद्यमान 70.830 कि.मी. (डिजाइन 70.830 कि.मी.) से विद्यमान 118.754 कि.मी. (डिजाइन 119.022 कि.मी.) तक सड़क खंड की निवल लंबाई 22.741 किमी { 0.169 कि.मी. की संरचना को छोड़कर (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और

समकक्ष लम्बाई 1.69 कि.मी. है } के लिए चार लेन खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर के 100% की दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) और बाइपासों जिनकी कुल लंबाई 24.763 कि.मी. है { 0.519 कि. मी. की संरचनाओं को छोड़कर (जिनकी लंबाई 60 मी. से अधिक है) और समकक्ष लम्बाई 5.19 कि.मी. है } के उपयोग के लिए आधार दर के 150% की दर पर शुल्क उद्गृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्-

सारिणी 1

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए चार अथवा अधिक लेनों के रारा खण्डों के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्गृहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे प्रत्येक शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
यमुनानगर जिले में मिल्क माजरा गाँव के निकट, 98.750 किमी पर, डिजाइन चैनेज (98.532 कि.मी. पर विद्यमान चैनेज)	22.741 (नीचे पैरा 3 में दी गई संरचनाओं की 0.169 कि.मी. की लंबाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी- 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा प्लाजाओं) पर), ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
		लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रूपए में)	
यमुनानगर जिले में मिल्क माजरा गाँव के निकट, 98.750 किमी पर, डिजाइन चैनेज (98.532 कि.मी. पर विद्यमान चैनेज)	यमुनानगर बाइपास जो डिजाइन चैनेज 71.640 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 71.640 कि.मी.) पर शुरू होते हुए और रारा-73 (नया रारा-344) के डिजाइन चैनेज 94.772 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 94.534 कि.मी.) पर मिलते हुए।	22.925 (नीचे पैरा 3 में संरचनाओं की 0.207 कि.मी. लम्बाई को छोड़कर)	204.00	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

	बड़ा पुन: संरेखण जो डिजाइन चैनेज 116.322 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 116.074 कि.मी.) पर शुरू होते हुए और रारा-73 (नया रारा-344) के डिजाइन चैनेज 118.472 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 118.242 कि.मी.) पर मिलते हुए।	1.838 (नीचे पैरा 3 में संरचनाओं की 0.312 कि.मी. लम्बाई को छोड़कर)	14.45	

3.उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं* की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है।
यमुनानगर जिले में मिल्क माजरा गाँव के निकट, 98.750 किमी पर, डिजाइन चैनेज (98. 532 कि.मी. पर विद्यमान चैनेज)	0.688	6.88	ऊपर सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %

*60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

मिल्क माजरा गाँव के निकट, 98.750 किमी पर, डिजाइन चैनेज (98.532 कि.मी. पर विद्यमान चैनेज))

क्रम सं.	60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाएं			लंबाई(मी.)
	संरचना (चैनेज कि.मी.)		संरचना का प्रकार	
1.	81.693	81.813	बड़ा पुल (यमुनानगर बाइपास)	0.120
2.	88.622	88.709	आरओबी (यमुनानगर बाइपास)	0.087
3.	98.110	98.189	बड़ा पुल	0.079
4.	99.296	99.386	बड़ा पुल	0.090
5.	116.952	117.162	बड़ा पुल (पुन: संरेखण पर)	0.210
6.	117.618	117.720	बड़ा पुल (पुन: संरेखण पर)	0.102
योग				**0.688**

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2018-19 के लिए मासिक पास की दर 255.00/- रूपए) दो सौ पचपन रूपए मात्र (होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क) दरों का अवधारण और संग्रहण (नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का **50%** होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, **2008** के नियम 10 (1ए) के अनुसार भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम **12** के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष **2007-08** के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 954.39 करोड़ है । पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जनउपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने-, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भारारापा/13013/680/सीओ/18-19/जीसी-यमुनानगर-पंचकुला सेक्शन]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2018

S.O. 5420(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 1035 (E) dated 07th May 2010 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 71.640 to km 179.285 (UP/Haryana Border-Yamunanagar-Saha-Barwala-Panchkula Section) of National Highway No. 73 in the State of Haryana to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th December, 2008, and amended vide GSR 950(E) dated 3rd December, 2010, GSR 15(E) dated 12th January, 2011, GSR 756(E) dated 12th October,2011, GSR 778(E) dated 16th December, 2013, GSR 26(E) dated 16th January, 2014, GSR 831(E) dated 21st November, 2014, GSR 2(E) dated 29th December, 2014, GSR 220(E) dated 23rd March, 2015, GSR 585(E) dated 8th June, 2016, GSR 1114(E) dated 2nd December, 2016, GSR 248(E) dated 14th March, 2017, GSR 427(E) dated 7th May, 2018 and GSR 920(E) dated 25th September, 2018 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “said Rules”), the Central Government hereby levies the fee at 100% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for net road section length of

22.741 km {excluding 0.169 km of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 1.69 km} (hereinafter referred to as "base rate") for use of the Four Lane section and bypasses having a length of 24.763 km {excluding 0.519 km of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 5.19 km} at 150% of the base rates specified in column (2) of Table-1 below for the use of Section from existing km 70.830 (Design km 70.830) to existing km 118.754 (Design km 119.022) (UP/Haryana Border-Yamunanagar-Saha-Barwala-Panchkula Section) of National Highway No. 73 (New NH-344) in the State of Haryana and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza(s) for net road length specified for such Fee Plaza(s):

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 98.750, design chainage (at km. 98.532 existing chainage) near village Milk Majra in Yamunanagar district	22.741 (excluding 0.169 km length of structures indicated in Para 3 below)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza(s) for net bypass(es) length specified for such Fee Plaza (s):

<table>
<tr><th rowspan="2">Location of Fee Plaza(s) (chainage)</th><th rowspan="2">Name of the Bypass</th><th colspan="2">Length & Cost of bypass for which additional fee is payable</th><th rowspan="2">Rate at which fee is payable</th></tr>
<tr><th>Length (in Km.)</th><th>Cost (in Rs. Crore)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">At km 98.750, design chainage (at km. 98.532 existing chainage) near village Milk Majra in Yamunanagar district</td><td>Yamunanagar Bypass taking off at design chainage km 71.640 (Existing Chainage km 71.640) and merging at design chainage km 94.772 (Existing Chainage km 94.534) of NH-73 (New NH-344).</td><td>22.925 (excluding 0.207 km length of structures indicated in Para 3 below)</td><td>204.00</td><td rowspan="2">150% of the base rates mentioned in Table-1 above</td></tr>
<tr><td>Major realignment taking off at design chainage km 116.322 (Existing Chainage km 116.074) and merging at design chainage km 118.472 (Existing Chainage km 118.242) of NH-73 (New NH-344).</td><td>1.838 (excluding 0.312 km length of structures indicated in Para 3 below)</td><td>14.45</td></tr>
</table>

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 98.750, design chainage (at km. 98.532 existing chainage) near village Milk Majra in Yamunanagar district	0.688	6.88	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

*Details of structure having length more than 60m is as under:

At km 98.750, design chainage (at km. 98.532 existing chainage) near village Milk Majra

S. No.	Structure having length more than 60 m			
	Structure (Chainage Km.)		Type of Structure	Length (Km.)
1	81.693	81.813	Major Bridge (Yamunanagar Bypass)	0.120
2	88.622	88.709	ROB (Yamunanagar Bypass)	0.087
3	98.110	98.189	Major Bridge	0.079
4	99.296	99.386	Major Bridge	0.090
5	116.952	117.162	Major Bridge (on Realignment)	0.210
6	117.618	117.720	Major Bridge (on Realignment)	0.102
Total				**0.688**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 255.00 (Rupees Two Hundred Forty Five only) for the year 2018-19 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, as per Rule 10 (1A) of NH Fee Rule 2008 and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 954.39 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/680/CO/18-19/GC Yamunanagar-Panchkula Section]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.10.11 16:27:14 +05'30'